Assignment
For
B. Com and
B.B.A
By Mr. Abhishek kumar
Dept of commerce and BBA
D. K. College Dumraon

[L-5]

1

PROPOSAL, ACCEPTANCE, COMMUNICATION AND REVOCATION

* **प्रस्ताव** ⟶ भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2(1) के अंतर्गत जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से किसी कार्य को करने या उसे दूर करने पर अपनी इच्छा को इस तरह से प्रकट करता है ताकि वह व्यक्ति द्वारा सहमति प्राप्त हो सके तो इसे प्रस्ताव का नाम दिया जाता है।

- **According to Pollock,** "किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से स्पष्ट शर्तों के आधार पर किसी ठहराव का पक्षकार बनने की इच्छा को व्यक्त करना प्रस्ताव कहलाता है।"

प्रस्ताव एक ऐसा विचार है जिसके लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को स्वतंत्र करता है। इसमें किसी कार्य को करने के लिए दूसरे व्यक्ति से स्वीकृति के उद्देश्य से कहा जाता है।

- **निष्कर्ष** ⟶ उपयुर्क्त परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि, "प्रस्ताव एक ऐसा विचार है कि किसी ठहराव की पक्षकार बनने की इच्छा को व्यक्त करता है।"

* **प्रस्ताव के संबंध में आवश्यक तत्व एवं लक्षण :-**

प्रस्ताव के लिए निम्न तथ्यों का होना आवश्यक है :-

(i) प्रस्ताव के अंतर्गत कम-से-कम दो पक्षकारों का होना आवश्यक है क्योंकि कोई व्यक्ति स्वयं स्वयं के समक्ष प्रस्ताव नही रख सकते।

(ii) प्रस्ताव किसी कार्य को करने का भी हो सकता है एवं ना भी हो सकता है।

(iii) प्रस्ताव, के दूसरे पक्षकार के सम्मुख उसकी स्वीकृति प्राप्त करने के उद्देश्य से ही किया जा सकता है क्योंकि स्वीकृति के आभाव में ये ना तो ठहराव बन सकता है एवं ना ही अनुबंध।

(iv) प्रस्ताव वैधानिक उत्तरदायित्व को उत्पन्न करता है।

* (2) **प्रस्ताव के संदर्भ में वैधानिक नियम**

भारतीय अनुबंध अधिनियम तथा अन्य न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णय एवं सुझावों के आधार पर प्रस्ताव के निम्न वैधानिक नियम है:

(i) प्रस्ताव पूर्णतः स्पष्ट, निश्चित, पूर्ण तथा अंतिम होना चाहिए। यह अस्पष्ट नही होना चाहिए। अस्पष्ट होने की स्थिति में यह कभी भी समझौता के उपधारण नही करता।

(ii) प्रस्ताव का अभिप्राय वैधानिक उत्तरदायित्व को उत्पन्न करना है। घरेलु प्रकृति वाले या सामाजिक प्रस्ताव कभी भी वैधानिक दायित्व उत्पन्न नही करते। अतः यह प्रस्ताव नही हो सकता है।

(iii) किसी विशेष अथवा निश्चित व्यक्ति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाने वाला प्रस्ताव विशेष प्रस्ताव कहलाता है। अतः कुछ प्रस्ताव ऐसे भी होते है जिसके द्वारा सारे जनता अथवा सारे विश्व के लिए सम्बोधित किए जाते है उसे सामान्य प्रस्ताव कहा जाता है।

(iv) यदि प्रस्ताव कुछ विशेष शर्तों के साथ किया जा रहा है तो ऐसी अवस्था में उन विशेष शर्तों का जानकारी होना आवश्यक हो जाता है इसके अभाव में विशेष शर्ते लागु नही होगी।

Eg:— A ने B को कपड़ा धोने के लिए दिया। A बदले में कुछ पैसा दिया किंतु उसके रसीद पर यह नहीं लिखा होता है कि रंग हल्का पड़ जाए तो कपड़ा धोने वाला उत्तरदायित्व होगा एवं यदि कपड़ा धोने पर रंग हल्का हो जाए तो B इसके लिए उत्तरदायी होगा।

(v) प्रस्ताव सन्देश विनय के रूप में होना चाहिए आज्ञा के रूप में नहीं। प्रस्ताव के समक्ष जानकारी के रूप में दिया दे देना चाहिए।

(vi) यह गम्भीर एवं स्पष्ट होना चाहिए।

(vii) प्रस्ताव करने का नियम निमंत्रण को प्रस्ताव नहीं माना जा सकता है क्योंकि प्रस्ताव के लिए निमंत्रण में ऐसा निमंत्रण देने वाला पक्षकार स्वंय प्रस्ताव नहीं रखता।

प्रस्ताव एवं प्रस्ताव के लिए निमंत्रण में अंतर :—

प्रस्ताव एवं प्रस्ताव के लिए निमंत्रण में अंतर निम्नलिखित है:—

क्र० सं०	अंतर का आ०	प्रस्ताव	प्रस्ताव के लिए निमंत्रण
(i)	आशय	प्रस्ताव से आशय प्रस्तावक द्वारा किसी कार्य को करने या न करने के संबंध में अपनी इच्छा प्रकट किये जाने से है जिसे स्वीकार कर लेने पर वह बाध्य हो जाता है।	प्रस्ताव के लिए निमंत्रण से आशय प्रस्तावक द्वारा ऐसी शर्तें प्रस्तावित किए जाने से है जिन पर कि वह वार्ता कर सकता है।
(ii)	उद्देश्य	इसका उद्देश्य प्रस्तावकी कि स्वीकृति प्राप्त करना होता है।	इसका उद्देश्य दूसरे पक्षकार को प्रस्ताव करने के लिए प्रेरित करना है।
(iii)	स्वीकृति की परिणाम	प्रस्ताव की स्वीकृति का परिणाम ठहराव का निर्माण करना होता है।	प्रस्ताव के लिए निमंत्रण की स्वीकृति का परिणाम ठहराव नही होता है।
(iv)	स्वीकृति की योग्यता	प्रस्ताव में स्वीकृति की योग्यता होती है।	प्रस्ताव के लिए निमंत्रण में स्वीकृति की योग्यता नही होती है।

(v)	दायित्व की उत्पत्ति	पक्षकार की स्वीकृति में पक्षकारों के मध्य दायित्व को उत्पन्न करने की भावना होती है।	प्रस्ताव के निमंत्रण में पक्षकारों के मध्य दायित्व उत्पन्न करने की भावना नही होती है।

स्वीकृति

जब वह व्यक्ति जिसके लिए प्रस्ताव किया गया है उस पर अपनी सहमति प्रदान कर लेता है तो यह कहा जाता है कि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है।

स्वीकृति से आशय ~~प्रस्ताव~~ सहमति प्रदान करने से है। जो लिखित एवं मौखिक दोनों हो सकता है। यह हमेशा सकारात्मक रूप में ही सकता है नकारात्मक रूप में नही।

According to Sec 2(b), → वह व्यक्ति जो प्रस्ताव रखता है या देता है उसे वचन-दाता कहते हैं तथा जिस व्यक्ति के द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है

उसे वचन - गृहीता कहते हैं।"
प्रस्ताव की स्वीकृति हो जाने के बाद ही उसका महत्व हो जाता है एवं ठहराव का जन्म होता है। इस प्रकार यदि प्रस्ताव नहीं तो स्वीकृति नहीं तो वचन नहीं तथा यदि वचन नहीं तो ठहराव नहीं। सहमति के अभाव में प्रस्ताव स्वतः ही समाप्त हो जाता है। प्रस्ताव का उद्देश्य दोनों पक्षकारों को अपने - अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए बाध्य करना है।

जब वचन दाता किसी प्रस्ताव के लिए सहमत होता है तो वह स्वीकृति का रूप धारण कर लेता है। यह स्वीकृति कुछ निश्चित नियम एवं शर्तों के साथ होती है एवं जैसे ही प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है उसी समय ठहराव भी अस्तित्व हो जाता है।

~~स्वीकृति~~

* स्वीकृति के प्रकार एवं यह कैसे निर्गमित होता है:-

स्वीकृति निम्न प्रकार से हो सकती है :-

(i) स्पष्ट स्वीकृति → स्पष्ट भी हो सकते एवं गर्भित भी। स्पष्ट होने की दशा में या लिखित रूपमें योग्य होता है

(ii) अस्पष्ट स्वीकृति → जब प्रस्ताव की स्वीकृति किसी विशेष अभिव्यक्तियों के द्वारा किया जाए तो उसे गर्भित स्वीकृति कहा जाता है। गर्भित स्वीकृति को मानसिक स्वीकृति भी कहते है। यह स्वीकृति भी वैध समझौते के द्वारा उत्पन्न होती है किंतु इसमें कुछ कानुनी प्रावधानों का भी वर्णन रहता है।

Date 17-03

EXAMPLE ~~Ex~~:- x एक व्यवसायी है जो ग्राहक से माल भेजने का order प्राप्त करता है। यदि वह order को स्वीकार कर के माल भेज दें तो यह प्रक्रिया कानुनी हो जाएगी।

* स्वीकृति के संबंध में वैधानिक नियम एवं स्वीकृति के लक्षण

या

वैध स्वीकृति के आवश्यक तत्व :-

भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा, 6, 7, 8, 9 तथा उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का अध्ययन करने के बाद एक वैध स्वीकृति के निम्नलिखित लक्षण एवं वैधानिक नियम होते हैं :-

(i) **स्वीकृति पूर्ण तथा शर्त रहित होनी चाहिए** :- भारत के उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायधीश S.M Sikry ने एक विवाद में विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि स्वीकृति पूर्ण एवं शर्त रहित होनी चाहिए। शर्त के साथ स्वीकृती कानूनी दृष्टिकोण से मान्य नही हो।

(ii) **स्वीकृति प्रस्ताव में निश्चित की गई विधि तथा ढंग प्रस्ताव के अनुरूप होने चाहिए** :- यदि प्रस्ताव प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए कोई विधि निश्चित कर रखी है तो प्रस्ताव की स्वीकृति उसी विधि के अनुरूप होनी चाहिए। यदि

उस निर्धारित विधि के अनुसार स्वीकृति नही की जाती है तो उसे वैध स्वीकृति नही माना जाएगा।

(iii) निश्चित विधि के अभाव में प्रचलित एवं उचित विधि से स्वीकृति → अनुबंध अधिनियम की धारा 7(2) के अनुसार यदि प्रस्तावक ने स्वीकृति के लिए कोई निश्चित विधि निर्धारित नही की है तो स्वीकृति ~~किसी~~ प्रचलित एवं उचित विधि से की जानी चाहिए जो परिस्थिति पर निर्भर करेगा।

(iv) नियत समय में स्वीकृति → यदि प्रस्ताव में प्रस्तावक की स्वीकृति के लिए कोई ~~निश्चित~~ समय सीमा निर्धारित की गई हो, तो उसी समय में ही स्वीकृति होनी चाहिए अन्यथा प्रस्तावक समाप्त हो जाता है। यदि स्वीकृति के लिए कोई समय निर्धारित न हो तो उचित समय में स्वीकृति हो जानी चाहिए। ~~प्रस्ताव को~~

(V) **प्रस्ताव की स्वीकृति प्रस्ताव के अंत वापस लेने के पूर्व होनी चाहिए:** → प्रस्ताव की स्वीकृति उसकी निर्धारित तिथि के अंत होने से पहले हो जानी चाहिए। क्योंकि यदि प्रस्ताव ही नही है तो स्वीकृति क्यों एवं कैसे होगी।

(VI) **स्वीकृति केवल उसी व्यक्ति द्वारा होनी चाहिए जिससे प्रस्ताव किया गया हो:** — प्रस्ताव को केवल वही व्यक्ति स्वीकार कर सकता है जिसके सम्मुख वह रख गया हो।

(VII) **स्वीकृति का सम्प्रेषण संवहन:** — प्रस्ताव की तरह स्वीकृति का भी संवहन होना आवश्यक है केवल मानसिक स्वीकृति जो शब्द तथा आचरण द्वारा स्पष्ट ना हो, कानून से स्वीकृति नही कहलाती है।

(VIII) **स्वीकारक को प्रस्ताव का मालुम होना चाहिए:** — स्वीकारक को प्रस्ताव की जानकारी का होना अत्यंत ही आवश्यक है। इसके अभाव में स्वीकृति

का प्रश्न ही नही उठता।

(ix) स्वीकृति, स्पष्ट तथा गर्भित भी हो सकती है :-

(x) आचरण द्वारा भी स्वीकृति हो सकती है।

(xi) प्रस्ताव की स्वीकृति शर्त पुरी किये जाने या प्रतिफल पाने पर भी हो जाती है।

(xii) स्वीकृतिकर्ता को अपने वचन को पुरा करने के लिए उचम एवं योग्य होना आवश्यक है इसके आभाव मे वैध स्वीकृति नही मानी जाएगी।

* प्रस्ताव तथा स्वीकृति का संवहन

भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत सामान्य प्रस्ताव के अतिरिक्त अन्य सभी प्रस्ताव तथा स्वीकृतियों का संवहन होना आवश्यक है अन्यथा वैधानिक दृष्टि से उनका कोई भी अस्तित्व नही रहता है।

संवहन के लिए यह आवश्यक नही है कि वह शब्दों के द्वारा ही हो

वह अन्य प्रकार से भी हो सकता है। संविदा के लिए प्रस्तावों की स्वीकृति का होना आवश्यक है। यदि प्रस्ताव व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध हो तो उस परिवेश में समझौते का अस्तित्व उत्पन्न होता है।
प्रस्तावक उचित एवं अत्यावश्यक स्वीकृति भी प्रदान कर सकता है किंतु वह परिस्थिति के अनुसार मान्य या अमान्य होगा। इसके लिए धारा 4 एवं पाँच को प्रयोग किया जाएगा।

(i) प्रस्ताव का संप्रेषण :— भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 4 के अनुसार प्रस्ताव तब माना जाता है जब वह सम्बन्धित व्यक्ति के जानकारी में आ जाए जिसके लिए वह किया गया हो।

(ii) स्वीकृति का संप्रेषण → भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 4 के अनुसार स्वीकृति का संप्रेषण प्रस्ताव के विरुद्ध एवं स्वीकारक के विरुद्ध हो सकता है। (4) यदि प्रस्तावक

के विरुद्ध संवहन उस समय पुरा माना जाएगा जबकि स्वीकर्ता ने स्वीकृति को प्रेषित कर दिया है एवं इस स्वीकृति को वापस लेना उसके बस में नही होगा।

(a) प्रस्ताव के विरुद्ध
(b) स्वीकार के विरुद्ध :-

स्वीकर्ता को विरुद्ध बाध्य करने के लिए उस समय पुरा माना जाएगा जब वास्तव में प्रस्ताव की जानकारी हो।

दुसरे शब्दों में, जब स्वीकृति पत्र वास्तव में प्रस्तावक के पास पहुँच जाता है अथवा अन्य किसी प्रस्तावक को यह जानकारी प्राप्त हो जाती है कि उनका प्रस्ताव स्वीकर्ता द्वारा स्वीकृत हो गया है।

* प्रस्ताव का खंडन या स्वीकृति का खंडन

अनुबंध अधिनियम की धारा 5 के अनुसार प्रस्ताव का खंडन प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन पुरा होने से पहले किसी

भी समय किया जाता है किंतु बाद में नही।

धारा 6 के अनुसार निम्न रीतियों से प्रस्ताव का खंडन हो सकता है।

(i) 6(1) → खंडन की सुचना देकर।

(ii) 6(2) → निश्चित अवधि के पुरा होने पर।

(iii) 6(3) → निश्चित अवधि के आभाव में उचित अवधि के बीत जाने पर।

(iv) 6(4) → प्रति प्रस्ताव पारित होने पर।

(v) 6(5) → स्वीकारक द्वारा किसी पुर्व शर्तो को पुरा न किये जाने पर।

(vi) 6(6) → प्रस्तावक की मृत्यु हो जाने पर या उसके पागल हो जाने पर।

(vii) स्वीकर्ता के मृत्यु एवं पागल हो जाने पर।

(viii) विषय-वस्तु के नष्ट हो जाने पर।